



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै0 इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 के डीलर राजवीर सिंह द्वारा भू-स्वामी श्री अजय पाण्डेय द्वारा खसरा संख्या-677 मि, ग्राम प्रहलादगढ़ी, तहसील व जिला गाजियाबाद पर उ0प्र0 के विकास प्राधिकरणों हेतु मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन, 2025 में निहित प्राविधानों के अनुसार प्रस्तावित नया रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प/सर्विस स्टेशन भवन मानचित्र संख्या-GDA/BP/25-26/1542 स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग 45 मीटर चौड़े महायोजना मार्ग के मार्गाधिकार की भूमि छोड़ने के उपरान्त अवशेष भाग "हरित पट्टी" के अन्तर्गत प्रदर्शित है। उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों हेतु मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 में निहित प्राविधानों के अनुसार "हरित पट्टी" भू-उपयोग में पेट्रोल पम्प क्रिया अनुमत्य है। जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधानों के अनुसार हरित पट्टी भू-उपयोग में प्रश्नगत क्रिया अनुमत्य किये जाने हेतु जनसामान्य से एक माह में आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने का प्राविधान है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति/सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव कार्यालय, मुख्य नगर नियोजक/स्वागत कक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकता है। कार्यालय में नियत अवधि (15 दिन) में प्राप्त होने वाले आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जायेगा। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जा जायेगा।

अपर सचिव

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।